न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 71 / 2022

प्रार्थीगण

1. विशनाराम पुत्र गंगाराम
2. हरजीराम पुत्र गंगाराम
3. अणदूदेवी पत्नि गंगाराम

जातियान जाट निवासी ऐवाड़ी, भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. सतीराम पुत्र सालगाराम जाति ब्राहम्ण निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
2. अमृतलाल पुत्र लूम्बाराम
3. गुणेशाराम पुत्र, लूम्बाराम
4. चम्पादेवी पत्नि लूम्बाराम जातियान ब्राहम्बण निवासी मनावास तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
5. भीखाराम पुत्र लूम्बाराम
6. देवीलाल पुत्र दुर्गाराम
7. शिवलाल पुत्र दुर्गाराम
8. हरीश पुत्र शिवलाल
9. दिनेश पुत्र शिवलाल
10. घेवरराम पुत्र सगराम जातियान ब्राहम्ण निवासी एवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी
11. भीयाराम पुत्र ईशराराम जाति जाट निवासी महोदवपुरा, कमठाई तहसील सिणधरी, बाड़मेर
12. राजूराम पुत्र ईशराराम
13. दुर्गाराम पुत्र ईशराराम
14. कंवराराम पुत्र पूनमाराम
15. गेहरोदेवी पत्नि पूनमाराम
16. मगाराम पुत्र लूम्बाराम
17. निम्बाराम पुत्र लूम्बाराम
18. ताजाराम पुत्र भानाराम
19. चुतराराम पुत्र लूम्बाराम
20. लक्ष्मणाराम पुत्र धनाराम
21. [illegible] पत्नि खेताराम
22. [illegible] कु[illegible] पुत्र दूदाराम
23. [illegible] पुत्र अणदाराम [illegible] जाट निवासी एवा[illegible] मान[illegible] डण्डाली तहसी[illegible] सिणधरी बाड़मेर
24. सताराम पुत्र मानाराम
25. मोटाराम पुत्र मानाराम जातियान एवाड़ी भीमजी कमठाई तहसील सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:52 IST
Reason: SelfAttested

उप[illegible]अधिकारी
सिणधरी

26. चिमाराम पुत्र देवाराम
27. जुंजाराम पुत्र मुलाराम
28. रामाराम पुत्र मुलाराम
29. रावताराम पुत्र मुलाराम
30. रामाराम पुत्र शेराराम
31. हीराराम पुत्र शेराराम
32. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री बींजाराम गोदारा , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 28.12.2022

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा ऐवाड़ी भीमजी के खेत खसरा संया 149/46 रकबा 9. 3844 हैक्टेयर खसरा संख्या 45 रकबा 0.1375 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 46 रकबा 16.7301 हैक्टेयर कुल रकबा 26.2520 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा ऐवाड़ी भीमजी के खेत खसरा संया 149/46 रकबा, 9.3844 हैक्टेयर खसरा संख्या 45 रकबा 0.1375 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 46 रकबा 16.7301 हैक्टेयर कुल रकबा 26.2520 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस [illegible] विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने [illegible] उन[illegible] विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:52 IST
Reason: SelfAttested

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अ[illegible]न के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा ऐवाड़ी भीमजी के खेत खसरा संया 149/46 रकबा 9.3844 हैक्टेयर खसरा संख्या 45 रकबा 0.1375 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 46 रकबा 16.7301 हैक्टेयर कुल रकबा 26.2520 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा ऐवाड़ी भीमजी के खेत खसरा संया 149/46 रकबा 9.3844 हैक्टेयर खसरा संख्या 45 रकबा 0.1375 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 46 रकबा 16.7301 हैक्टेयर कुल रकबा 26.2520 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा तहसील सिणधरी पटघार मण्डल कमठाई मौजा ऐवाड़ी भीमजी के खेत खसरा संया 149/46 रकबा 9.3844 हैक्टेयर खसरा संख्या 45 रकबा 0.1375 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 46 रकबा 16.7301 हैक्टेयर कुल रकबा 26.2520 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्ड़ड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा ऐवाड़ी भीमजी के खेत खसरा संया 149/46 रकबा 9.3844 हैक्टेयर खसरा संख्या 45 रकबा 0.1375 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 46 रकबा 16.7301 हैक्टेयर कुल रकबा 26.2520 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/-प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:52 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 28-12-2022 को लिखकर जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी